



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
शक्ति भवन, १४-अशोक मार्ग, लखनऊ-२२६००१
UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्र सं०: 3106-मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/२०१९-०२-मा०सं०प्र०-०२/२००३ दिनांक : २२ अक्टूबर, २०१९

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक २६.०९.२०१९ को सम्पन्न १८३वीं बैठक के एजेण्डा आइटम संख्या-१८३.१३ में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, निगमादेश सं०: १४४३-मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/२०१५, दिनांक १२.०८.२०१५ के अनुक्रम में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं०: २५२-काविनी एवं वे०प्र०-२९/पाकालि/२०१९-१७-वे०प्र०(३०)/२००२, दिनांक ०८.०३.२०१९ में दी गई व्यवस्थाओं की अनुरूपता में तत्काल प्रभाव से एतद्वारा निगम के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को साइकिल भत्ता रू० १००/- प्रतिमाह के स्थान पर रू० २००/- (रुपये दो सौ) प्रतिमाह की दर से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

साइकिल भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत निगमीय आदेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

सं०: ३१०६-मा०सं०प्र०-०२/उनिलि/२०१९, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
२. निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर/निजी सचिव।
३. महाप्रबन्धक(मा०सं०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
४. मुख्य अभियन्ता (स्तर-१), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा (झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)।
५. मुख्य अभियन्ता(स्तर-१।), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, १X६६० पनकी तापीय परियोजना/२X६६० जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, पनकी(कानपुर)/मलावन (एटा)।
६. अधिशारी निदेशक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
७. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक(पीपीएमएम), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, टीसी-४६/वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१०।
८. मुख्य अभियन्ता(स्तर-१।), न्यू कोल ब्लॉक, चतुर्थ तल, टीसी-४६/वी, समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-२२६०१०।
९. मुख्य अभियन्ता(पर्यावरण एवं सुरक्षा)/(जानपद)/(जानपद नव-परियोजनाएं)/(तापीय परिचालन इकाई)/(ईंधन)/(पीपीएमएम)/(वाणिज्य)/(आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
१०. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

कमशः.....२/-

11. महा प्रबन्धक(लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उत्पादन निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 26.09.2019 को सम्पन्न 183 वीं बैठक के एजेण्डा आइटम संख्या-183.13 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
13. मुख्य परियोजना प्रबन्धक(प्रगति), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 को निगम वेबसाइट www.uprvnl.org पर अपलोड करने हेतु।
14. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता(मा०सं०-01/02/03/04/05/06/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/रिफार्म/डाटाबेस, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. उप मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
16. मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
17. समस्त उप सचिव/अनुसचिव/अधिशाली अभियन्ता/अनुभाग अधिकारी(मानव संसाधन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
18. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे० एवं ले०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
19. कार्मिक अधिकारी(आ०सं०)/जन सूचना अनुभाग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
20. कट फाइल।

आज्ञा से,



(अनिल कुमार मिश्र)

उप महाप्रबन्धक(मा०सं०-02)



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या 252 - काविनी एवं वे0प्र0 - 29 / पाकालि / 2019 - 17-वे0प्र0(30) / 2002 दिनांक 08 मार्च, 2019

कार्यालय झाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय झाप रां0-516-काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2015-17-वे0प्र0(30)/02 दिनांक 04.07.2015 द्वारा रू0 100/- प्रतिमाह की दर से साईकिल भत्ता अनुमन्य कराये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2. कारपोरेशन के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.03.2019 को सम्पन्न 145(46)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, उ0प्र0 शासन की अनुमति में साईकिल भत्ता रू0 100/- प्रतिमाह के स्थान पर रू0 200/- प्रतिमाह की दर से तत्काल प्रभाव अर्थात् आदेश निर्गतन की तिथि से अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. साईकिल भत्ते की अनुमन्यता के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत परिषद/कारपोरेशन आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या: 252 -(1) काविनी एवं वे0प्र0-29/पाकालि/2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1) अध्यक्ष, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3) प्रबन्ध निदेशक, केरको, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, बाराणसी, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
- 4) समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 5) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पा0का0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6) मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पा0का0लि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 7) समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं II), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 8) अध्यक्ष विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि, एरा0एल0डी0सी0 परिसर, लखनऊ।
- 9) समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
- 10) संयुक्त सचिव (स0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 11) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 12) समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 13) लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), केन्द्रीय लेखा कार्यालय, उ0प्र0 पा0का0लि, लखनऊ।
- 14) अनु सचिव (स0प्र0-लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
- 15) समस्त अधिकारी, कारपोरेशन मुख्यालय, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 16) कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 06.03.2019 को सम्पन्न 145(46)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में।
- 17) अधिशासी अभियन्ता (वेब) कक्ष रां0-407 शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट) 07/03/19

अनु सचिव (का0विनी0)